

सा०/No. : 5-1(70)/2009-PD

Dated 21.03.2024

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी -
01.01.2024 से प्रभावी संशोधित दर - शुद्धिपत्र के संबंध में।

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family
pensioners - Revised rate effective from 01.01.2024 - Corrigendum-reg.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

उपरोक्त विषय पर सीएसआईआर के दिनांक 20.03.2024 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के विषय में उल्लिखित संशोधित दर की प्रभावी तिथि को 01.01.2023 के स्थान पर 01.01.2024 पढ़ा जाए।

इसे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

In continuation of the CSIR letter of even number dated 20.03.2024 on the above subject, I am directed to state that the effective date of the revised rate mentioned in the subject of the said letter may be read as 01.01.2024 instead of 01.01.2023.

This may be brought to the notice of all concerned for information and necessary action.

भवदीय/Yours faithfully,



(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi)

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2. कार्यालय प्रति/Office copy